

## न्यायालय तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी:- श्री हुकमसिंह, आर.टी.एस.  
प्रकरण संख्या 17/2024

### प्रार्थीगण:-

- राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का बालेसर दुर्गावता, तहसील-बालेसर, जिला-जोधपुर।

### बनाम

### अप्रार्थीगण:-

- हरीसिंह पुत्र मेघसिंह जाति- राजपूत, निवासी-शहीद भंवरसिंह नगर

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

### -:निर्णय:-

दिनांक- 01 जुलाई 2025

पत्रावली पेश हुई। संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बालेसर दुर्गावता ने अप्रार्थी के विरुद्ध रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया कि अप्रार्थी ने राजस्व ग्राम शहीद भंवरसिंह नगर के खसरा नम्बर 239 किस्म गै.मु. पहाड़ भूमि पर अनाधिकृत रूप से मकान बनाकर अतिक्रमण किया है अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जावे। हमने पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया।

बावजूद नोटिस तामिल के अप्रार्थी अनुपस्थित। अप्रार्थी द्वारा अपने पक्ष में किसी भी प्रकार के कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना-पत्र में पत्रावली में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है व मौके से बेदखल करने का आदेश पटवारी हल्का को दिया जाता है तथा दण्ड स्वरूप लगान का 50 गुणा राशि 393 रुपये अक्षरे तीन सौ तिरानवे रुपये मात्र जुर्माना आरोपित किया जाता है।

पटवारी हल्का अप्रार्थी को मौके से बेदखल करे एवं आरोपित जुर्माना राशि वसूल कर राजकोष में जमा करावे। त.रा.ले. से मांग कायम होकर पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय भरे इजलास सुनाया गया।

वर्तमान में वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी में श्रीमान न्यायालय अपर जिला कलक्टर जोधपुर के अपील संख्या 88/2022 आदेश दिनांक- 17.04.2023 की पालना में स्थगन आदेश का नोट लगा हुआ है। अतः न्यायालय हाजा का उक्त निर्णय श्रीमान न्यायालय अपर जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश के अनुरूप रहेगा।

तहसीलदार बालेसर

Signature valid

Digitally signed by Hukam Singh  
Sisodiya  
Designation: Tehsildar  
Date: 2025.07.01 16:17:14 IST  
Reason: Approved

